मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (फाल्गुन 6, 1937)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 18 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष 1997-1998 से 2012-2013 तक पटल पर रखेंगी.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 46 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

3. दिसम्बर, 2015 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड 6 का संकलन पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, अशोक नगर जिले के अनेक ग्रामों में भू-जल स्तर गिरने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कैलाश चावला तथा जगदीश देवड़ा, सदस्य, मंदसौर जिले में सूखा पीड़ित कृषकों को मुआवजा राशि का वितरण न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 216-उज्जैन-उत्तर से निर्वाचित सदस्य, श्री पारस चन्द्र जैन को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

-2-

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

"सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नवम् प्रतिवेदन से सहमत है.".

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, याचिका समिति का अठारहवां से उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुन्दर लाल तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के –
- (क) ग्राम टीकर में निमिहन टोला से बरहा टोला 3 कि.मी. जकीरा से पटपहरा टोला 5 कि.मी. रोड का निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम बदबार मोड़ से जल्दर ग्राम तक लगभग 8 कि.मी. सड़क का डामरीकरण किये जाने,

(2) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के -
- (क) ग्राम डिढुरा के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम देवरी (मबई) में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम सिहुडी (बाकल) के खर्राघाट में स्टाप डेम का निर्माण किये जाने,

(3) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के -
- (क) ग्राम नीलबड़ में तालाब की स्थापना किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम इछावर के सतपीपलिया एवं गऊखेड़ी तक डामर रोड का निर्माण किये जाने,

(4) श्री चम्पालाल देवड़ा, सदस्य, देवास जिले के -
- (क) ग्राम पीपरी, रतनपुर मार्ग का पुन: निर्माण किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम आगराखुर्द से उदयनगर पीपरी मार्ग तक रोड का निर्माण किये जाने,

(5) श्री वीर सिंह पवार, सदस्य, विदिशा जिले के -
- (क) ग्राम उदयरामपुर से सुल्तानपुर तक रोड बनाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम भालवामोरा से नजफगंज बाढ़ेर, देवीपुर तक 4 कि.मी. रोड बनाये जाने,

(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के चानंद खेड़ा से प्रेमपुर होते हुए चौगन किला तक की रोड निर्माण किये जाने,

(7) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम पचेर में शासकीय अस्पताल खोले जाने,

(8) श्री घनश्याम पिरोनियाँ, सदस्य, दतिया जिले के भाण्डेर क्षेत्र में नीलगाय तथा आवारा मवेशियों से निजात दिलाये जाने,

(9) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम जखोदा अहरोली से सुजानगढ़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम निम्बोद में नवीन पंचायत भवन स्वीकृत किये जाने,

(11) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के सनकुआ धाम को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने,

(12) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के बरौही से मझिगवां-लासा पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,

(13) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के नसीरपुर में नवीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल स्वीकृत किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

11. जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 2268) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

12 . राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं."

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 24 फरवरी, 2016